रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2005/श्रावण 21, 1927
No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2005/SRAVANA 21, 1927

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए 335 मेगाहट्‌र्ज बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

3. **335 मेगाहट्‌र्ज बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट आवृत्तियों, उत्सर्जन, एंटिना और संचारी शक्ति में, अव्यतिकरण, असंरक्षित और हिस्सेदारी (अनन्य रहित) के आधार पर क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी .

आवृत्तियां (मेगाहट्‌र्ज)	उत्सर्जन	संचारी शक्ति	एंटिना
(1)	(2)	(3)	(4)
335.7125	10 के 0 एफ 1डी	1 मिली वाट	अंत:निर्मित एंटिना
335.7375			
335.7625			
335.7875			
335.8125			
335.8375			

4. **व्यतिकरण.**—(1) व्यतिकरण वह है जो किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके। (2) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से व्यतिकरण हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्तिविहीन बेतार उपस्कर का उपयोक्ता उसका उपयोग तुरन्त बंद कर देगा।

[सं. आर-11014/04/2005-एल आर]

अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2005

G.S.R. 532(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Use of low power equipment in the 335 MHz band for remote control of cranes (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a)"Act" means the Indian Telegraph Act,1885 (13 of 1885);

(b) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as are assigned to them in those Acts.

3. **Use of wireless equipment in the 335 MHz band.-** Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the remote control of cranes, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequencies, Emission, antenna and Transmit Power as specified in the Table below, namely :-

Table

Frequencies (MHz)	Emission	Transmit Power	Antenna
(1)	(2)	(3)	(4)
335.7125 335.7375 335.7625 335.7875 335.8125 335.8375	10K0F1D	1 m W	Inbuilt Antenna

4. Interference.- (1) Interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. (2) In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed Wireless equipment shall discontinue its use forthwith.

[No.R-11014/04/2005-LR]

ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आरएफआईडी) के लिए 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,.—

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रभावी विकिरित क्षमता'' में एंटिना की प्राप्यता, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

3. 26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से अव्यतिकरण, असंरक्षित और हिस्सेदारी (गैर विशिष्ट) आधार पर 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में 5 वाट की प्रभावी विकिरित शक्ति और अंत:निर्मित एंटिना गति के समय या विराम के दौरान उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

4. व्यतिकरण.—(1) व्यतिकरण वह है जो किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके। (2) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से व्यतिकरण हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्तिविहीन बेतार उपस्कर का उपभोक्ता उसका उपयोग तुरन्त बंद कर देगा।

[सं. आर-11014/04/2005-एल आर]

अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2005

G.S.R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Use of low power equipment in the Citizen band 26.957 – 27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a)"Act" means the Indian Telegraph Act,1885 (13 of 1885);

(b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;

(c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as are assigned to them in those Acts.

3. Use of wireless equipment in the band 26.957 – 27.283 MHz.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment intended to be used while in motion or during halts, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 26.957 – 27.283 MHz with 5 Watt Effective Radiated Power and built-in antenna

4. Interference.- (1) Interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. (2) In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed Wireless equipment shall discontinue its use forthwith.

[No. R-11014/04/2005-LR]

ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.